# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल,

Telephone & Fax No.- (0755) 2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / लीगल सेल / न्या.प्र. / 2019 / 655 भोपाल, दिनांक 01/04/2019

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख),
समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय),
समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय),
समस्त मुख्य वन संरक्षक(अनुसंधान विस्तार),
समस्त क्षेत्र संचालक
मध्यप्रदेश

B/E-Mail

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी ,म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक / एसटीएसएफ / 2018 / 1486 दिनांक 14.12.2018 एवं अपर सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र कमांक / 82 / 2895 / 2018 / 10–2 दिनांक 16.01.2019

–:00:–

टाईगर स्ट्राईक फोर्स की गतिविधियों के संबंध में शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2018 को हुई समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विभिन्न प्रकरणों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कर्यालयीन पत्र क्रमांक / सतर्कता शिका. / न्या.प्र. / 1170 दिनांक 24.02.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए विभिन्न स्तर के न्यायालयीन प्रकरणों में नीचे दर्शाई तालिका अनुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्ति करवाने हेतु व्यवस्था दी जाती है:–

| कमांक | न्यायालय | प्रभारी अधिकारी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्रम न्यायालय से संबंधित प्रकरण | वन क्षेत्रपाल |
| 2 | जिला स्तर के न्यायालय से संबंधित प्रकरण | उप वन मंडलाधिकारी |
| 3 | उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरण टाईगर स्ट्राईक फोर्स से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में | सहायक वन संरक्षक / प्रभारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स |
| 4 | उच्च न्यायालय से संबंधित अन्य प्रकरण | वन मंडलाधिकारी / वन संरक्षक (प्रभारी व वन मंडल के प्रभारी) |
| 5 | उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रकरण टाईगर स्ट्राईक फोर्स से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में | उप वन संरक्षक / प्रभारी राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स |
| 6 | उच्चतम न्यायालय से संबंधित अन्य प्रकरण | मुख्य वन संरक्षक |

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तालिका के कमांक 1 व 2 के प्रकरणों में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी जवाबदावे संबंधित वन मंडल अधिकारी से तथा 4 के



Contd - 2 -

प्रकरणों में क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। क्रमांक 6 के प्रकरणों में पूर्ण जवाबदावा क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक द्वारा तैयार कर वन मुख्यालय की संबंधित शाखा से परीक्षण कराकर ही प्रस्तुत किया जाये। ऐसे प्रकरण जो शासन की नीति से संबंधित है, में मुख्यालय की संबंधित शाखा से भी पूर्व परीक्षण करवाकर जवाबदावा संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किया जावेगा।

30/3/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / उत्पा / लीगल सेल / न्या.प्र. / 2019 / 656 भोपाल, दिनांक 01/04/19

प्रतिलिपि: सचिव, वन, म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर शासन के संदर्भ कमांक / 82 / 2895 / 2018 / 10—2 दिनांक 16.01.2019 के तारतम्य में सुचनार्थ प्रेषित।

30/3/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल